हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 8 तक के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 मे वर्णित ग्राम छापरी पटवार मण्डल नेगड़िया के खाता संख्या 190 मे वर्णित आराजी नम्बर 30/1, व 34/1 कुल किता आराजी - 2 कुल रकबा 1.3612 है। भूमि लगान 3.13 रुपया प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की है। इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजियात की मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूँगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.07.11 16:55:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner